


१३-०१-१५

पत्रावली पेश हुई। वकील अर्धी या गार्धी स्वयं
उपस्थित नहीं। बार-बार आज लगाने पर भी उपस्थित
नहीं हुए। अतः अर्धी का यह प्रापत्र अदम चेंद्री -
अदम हाजिरी में इसी स्तर पर लाटिज किया जाता
है। पत्रावली काद तस्वीब तस्मील होकर दाखिल दफ्तरी।

निर्णय लिखाया जाकर पुत्रे न्यायालय में
सुनाया गया


(दीपक चन्दन)
RAC